न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)
वाद सं० : 843 सन 2019
अनवान :–

1. मुकेश कुमार सुथार पुत्र राजाराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. खुबीराम पुत्र सालुराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. शकुन्तला पुत्री खुबीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विमलादेवी सुथार पत्नी राजाराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. भजनलाल पुत्र खुबीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. संजय कुमार सुथार पुत्र भजनलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. सुखवीर पुत्र भजनलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला
7. सुदेश कुमार सुथार पुत्र राजाराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 16/7/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 70/71 की कुल 8.3460हैक में से 20 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 253/222 की कुल 6.5750हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 218/194 की कुल 8.6020हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 14 की कुल 6.5760हैक में से 1.0120हैक भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सालु वल्द बख्ता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सालु वल्द बख्ता के देहान्त होने पर वाद विरास्तन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सालु वल्द बख्ता के देहान्त होने के बाद विरास्तन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 , 4 ता 7 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 स्वय न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के

Scanned with CamScanner

वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता सालु पुत्र बख्ता के देहान्त होने पर विरासतन से प्राप्त हुई है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ,जो वादी की बहन एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि को अपने भाईयों/पिता वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 4 ता 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 के नाम से उनके बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। ईकबाल दावा तस्दीक किया जाकर शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 8 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 70/71 की कुल 8. 3460हैक्ट में से 20 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 253/222 की कुल 6.5750हैक्ट में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 218/194 की कुल 8.6020हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 14 की कुल 6.5760हैक्ट में से 1.0120हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम सें दर्ज है।

उक्त भूमि पूर्व में वादी के दादा सालु वल्द बख्ता के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी वादी के दादा सालु वल्द बख्ता के देहान्त होने पर वाद विरासतन से वाद भूमि उनके पुत्र प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई।

वाद भूमि जो प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी के पिता है के नाम से दर्ज है वादी के दादा सालु वल्द बख्ता के देहान्त होने के बाद विरासतन से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है जिसके कारण पैतृक सम्पति है जिसमें वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 7 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 वादी की बहने है एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है प्रतिवादी संख्या 2, ता 3 की शादी हो चुकी है एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 3 ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 के पक्ष में किया जा चुका है। इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 70/71 की कुल 8.3460हैक्ट में से 20 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 253/222 की कुल 6.5750हैक्ट में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 218/194 की कुल 8.

Scanned with CamScanner

6020हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि व रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 14 की कुल 6.5760हैक्ट में से 1.0120हैक्ट भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

जमाबन्दी/पर्चा खतोनी उपनिवेशन विभाग के अनुसार चक 7 जेएसएन के अलावा वाद भूमि सालु पुत्र बख्ता के नाम से दर्ज थी अर्थात वाद भूमि पूर्व में वादी के दादा सालु पुत्र बख्ता के नाम से दर्ज है वादी के दादा सालु पुत्र बख्ता के देहान्त होने के बाद विरासतन से वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है विरासतन से भूमि वादी के पिता के नाम से दर्ज होने के कारण पैतृक सम्पति होना सावित है। हिन्दु उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 ,8 के अनुसार पैतृक सम्पति में वादी का हक हिस्सा है अर्थात दादा की सम्पति में पौते/पौतियों को बराबर का हक हिस्सा होगा। अर्थात वाद भूमि में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 बहिव के हकदार है।

वादी का कथन है कि प्रतिवादी संख्या ,2 ता 3 जो वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग किया हुआ है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या ,2 ता 3 स्वय न्यायालय में उपस्थित होकर वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 के पक्ष में त्याग किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ,4 ता 7 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो तस्दीक किया जाकर शमिल मिसल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 2 ,3 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों की सुरक्षा के मध्यनजर स्टाम्प डयूटी कायम की जानी न्यायोचित है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 7 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी सावित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 70/71 की कुल 8.3460हैक्ट में से .20 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 बहिव व व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 253/222 की कुल 6.5750हैक्ट में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 218/194 की कुल 8.6020हैक्ट में से 1/3 हिस्सा भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है व रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 14 की कुल 6.5760हैक्ट में से 1.0120हैक्ट भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत दर्ज रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/- रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 16/07/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

(हस्ताक्षर)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. मुकेश कुमार सुथार पुत्र राजाराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 खुबीराम पुत्र सालुराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर ।
2. शकुन्तला पुत्री खुबीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
3. विमलादेवी सुथार पत्नी राजाराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
4. भजनलाल पुत्र खुबीराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर।
5. संजय कुमार सुथार पुत्र भजनलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
6. सुखवीर पुत्र भजनलाल जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर जिला
7. सुदेश कुमार सुथार पुत्र राजाराम जाति सुथार निवासी फेफाना तहसील नोहर
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

।

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 843 सन 2019 निर्णय दिनांक–16/7/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एंव प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर सावित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 70/71 की कुल 8.3460हैक में से 20 हिस्सा जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 बहिब व व रोही मौजा चक 5 ए बारानी के खाता संख्या 253/222 की कुल 6.5750हैक में से 1/3 हिस्सा व रोही मौजा चक 5 बी बारानी के खाता संख्या 218/194 की कुल 8.6020हैक में से 1/3 हिस्सा भूमि दोनो खातों में प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 का 1/2 हिस्स व प्रतिवादी संख्या 4 ता 6 का 1/2 हिस्सा भूमि के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है व रोही मौजा चक 7 जेएसएन के खाता संख्या 14 की कुल 6.5760हैक में से 1.0120हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम यथावत दर्ज रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलग्न 5000/– रू स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 16/7/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner